न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 02/2024

जी.सी.एम.एस. नं.: 2024/39

1. जगपाल सिंह पुत्र लखा सिंह, निवासी 14 जीबी तहसील श्रीविजयनगर
2. गुरजीत सिंह पुत्र जलपाल सिंह, निवासी 14 जीबी तहसील श्रीविजयनगर
3. राजवीर सिंह पुत्र जगपाल सिंह, निवासी 14 जीबी तहसील श्रीविजयनगर

—: **प्रार्थीगण**

बनाम

1. रामकरण सिंह गुलिया पुत्र मांगेराम गुलिया जाति जाट निवासी गुडगांव हाल निवासी माई होस्पीटल, इन्डस नैटवर्क होस्पीटल, सी साईट 182 सैक्टर 69, नजदीक गुरूद्वारा शहीदां मौहाली–चंडीगढ़ पंजाब
2. राजेश गुलिया पुत्र रामकरण सिंह गुलिया जाति जाट निवासी गुडगांव हाल निवासी माई होस्पीटल, इन्डस नैटवर्क होस्पीटल, सी साईट 182 सैक्टर 69, नजदीक गुरूद्वारा शहीदां मौहाली–चंडीगढ़ पंजाब
3. सुलखन सिंह पुत्र अजायब सिंह निवासी 14 जीबी तहसील श्रीविजयनगर
4. मक्खन सिंह पुत्र अजायब सिंह निवासी 14 जीबी तहसील श्रीविजयनगर
5. कलविनद्रजीत कौर पुत्री बुटा सिंह निवासी 14 जीबी तहसील श्रीविजयनगर
6. जसविन्द्र सिंह पुत्र बुटा सिंह निवासी 14 जीबी तहसील श्रीविजयनगर
7. हरप्रीत कौर पुत्री बुटा सिंह निवासी 14 जीबी तहसील श्रीविजयनगर
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीविजयनगर
9. उप पंजीयक जैतसर
10. अंग्रेज सिंह पुत्र बिडदाराम जाति ओड़ निवासी वार्ड नं. 1 पीलीबंगा (लखुवाली) जिला हनुमानगढ़

—: **अप्रार्थीगण**

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थिति :–

1. **श्री सुखदेव सिंह बुट्टर, अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **एकपक्षीय, अप्रार्थीगण सं. 1,2**
3. **श्री राजेश बिश्नोई, अधिवक्त अप्रार्थीगण सं. 3 से 7**
4. **राजपैरोकार, अप्रार्थी सं. 8–9**
5. **श्री ओम धायल, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 10**

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 25.07.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:55:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

1. प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया [illegible] 14 जीबी में प.नं. 150/403 मु.नं. 40 कि.नं. 11 ता 24 का 2.530है. [illegible] व [illegible] 105/405 मु.नं. 59 कि.नं. 1 ता 17/1 का 3.412है. [illegible] 5.957है. नहरी मय खाला रकता प्रार्थी सं. 1 जगपाल सिंह के नाम से [illegible] 150/405 मु.नं. 59 कि.नं. 13/1 ता 20/1 का 1.392है. नहरी मय खाला रकबा प्रार्थी सं. 2 [illegible] सिंह के नाम से तथा प.नं. 150/405 मु.नं. [illegible] कि.नं. 20/2 ता 25[illegible] का 1.354है. नहरी मय खाला रकबा प्रार्थी सं. 3 राजवीर सिंह नाम से दर्ज है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम से चक 14 जीबी प.नं. 149/404 मु.नं. 47 कि.नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9/2, 10/1 व प.नं. 150/402 मु.नं. 19 कि.नं. 21/1 ता 23/4 व प.नं. 150/403 मु.नं. 40 के कि.नं. 1 ता 9, 13 ता 17, 25 का कुल 5.333है. नहरी भूमि खातेदारी दर्ज है तथा अप्रार्थी सं. 2 के नाम से चक 14 जीबी प.नं. 149/404 मु.नं. 47 कि.नं. 3/1 ता 25 कुल 5.333है. नहरी खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है। अप्रार्थी सं. 3 से 7 के नाम से चक 14

जीबी मुश्तरका खाता में प.नं. 150/401 मु.नं. 11 कि.नं. 1 ता 3/2, प.नं. 150/404 मु.नं. 46 कि.नं. 23/1 ता 25/2 में कुल 1.240है. नहरी मय खाला खातेदारी भूमि दर्ज रास्व रिकार्ड है। प्रार्थीगण के रकबा को आवागमन हेतु पूर्व से स्वीकृशुदा रास्ता जो अप्रार्थी सं. 1 व 2 के मु.नं. 47 कि.नं. 1 से 5 मेसे होकर इसी रकबा के कि.नं. 1,10,11,20,21 में से वर्तमान में मौका पर चले रहे रास्ता जो पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण लगतार मु.नं. 46 के चिपता दिशा का है से होते हुए अप्रार्थीगण सं. 3 ता 7 के नाम की भूमि मु.नं. 46 कि.नं. 2521 में कार्नर मेंसे होकर गुजरते हुए अपने रकबा कि.नं. 5 में प्रवेश करते आ रहे है। अप्रार्थीगण की सहमति से ही निर्बाध आवागमन किया जाता रहा है। मौका पर चालू रास्ता स्वीकृतशुदा नहीं होने से अप्रार्थीगण द्वारा अकारण रोक टोक कर प्रार्थीगण को अपने रकबा से आवागमन से रोक दिया जाने पर प्रार्थीगण कृषि कार्य सुविधाजनक करने से वंचित होते रहते है। प्रार्थीगण रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है जिसके सद्भावी व विधिक अधिकारी है। जिसकी एवज में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को भूमि या डीएलसी के नियमानुसार प्रतिफल राशि अदा करने को तैयार है। प्रार्थीगण को उक्त अप्रार्थीगण से चाहे रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता नहीं होने से यही चागया गया व मौका पर सहमति अनुसार चालू रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए नजदीक व सुगम तथा सुविधाजनक रास्ता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण सं. 1–2 के नाम की भूमि चक 14 जीबी मु. नं. 47 प.नं. 149/404 कि.नं. 1,10,11,20,21 में पश्चिम दिशा की ओर उत्र से दक्षिण व अप्रार्थीगण सं. 3 से 7 के संयुक्त दर्ज चक 14 जीबी मु.नं. 46 प.नं. 150/404 कि.नं. 25/1 में कोर्नर जो मौका पर चालू है को प्रत्येक बीघा में से 12 फुट चौड़ाई का रास्ता स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। तहसीलदार श्रीविजयनगर से प्रार्थना पत्र के संबंध में मौका जांच रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार श्रीविजयनगर के पत्रांक/रीडर/2024/559 दिनांक 07.08.2024 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। अप्रार्थी सं. 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी सं. 10 को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 – 151 सीपीसी स्वीकार कर अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 द्वारा भूमि अप्रार्थी सं. 10 को जरिए पंजीबद्ध बैयनामा विक्रय कर दिए जाने के फलस्वरूप अप्रार्थी सं. 10 प्रभावित व आवश्यक पक्षकार होने से बतौर अप्रार्थी पक्षकार संयोजित किया गया। अप्रार्थी सं. 10 जरिए मु.आम की ओर से अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर जवाब अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रकबा अप्रार्थी सं. 10 द्वारा अप्रार्थी सं. 1 व 2 से जरिए बैयनामा खरीद कर लिया गया है तथा राजस्व रिकार्ड में भूमि अप्रार्थी सं. 10 के नाम से दर्ज हो गई है। इसलिए भूमि के संबंध में पूर्ण अधिकार अप्रार्थीग को प्राप्त है। अप्रार्थी के रकबा में कभी भी कोई रास्ता नहीं चला तथा ना ही कभी कोई उक्त रकबा के कि.नं. 1,10,11,20,21 में कोई आवागमन हुआ। प.नं. 149/404 कि.नं. 5,6,15,16,25 में 8 फुट रास्ता छोड़ हुआ है जिससे आगे के काश्तकार आवागमन करते है। अप्रार्थी के कि.नं. 1,10,11,20,21 में कभी भी कोई रासता चालू नहीं हुआ तो प्रार्थीगण के आवागमन [illegible] नहीं होगा। प्रार्थीगण अपने रिश्तेदारों अप्रार्थीगण सं. 3 ता 7 की चिपती भू[illegible] कि.नं. 5,6,15,16,25 से रास्ता प्राप्त कर सकता है [illegible] सुविधाजनक होगा। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र पेश करने के अधिकारी नहीं है [illegible] द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि मु.नं. 46 [illegible] में रास्ता स्वीकार किया जावे लेकिन मु.नं. 46 प.नं. 150/404 में अ[illegible]र्थीगण 3 ता 7 का रकबा संयुक्त खाता में दर्ज है इसलिए जब तक मु.नं. 46 का किला विभाजन नहीं हो जाता तब तक प्रार्थीगण यह प्रार्थीना पत्र पेश करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीग्ण के वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

3. अप्रार्थी सं. 3 से 7 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए और ईकबाली जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वर्णित

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीविजयनगर
उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर
Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:55:07 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार चाहा गया रास्ता स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण के रकबा से प्रार्थीगण को रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति व एतराज नहीं होकर जिसकी एज में न्यायालय के आदेशानुसार बदले में भूमि अथवा नियमानुसार डीएलसी की दुगुणा राशि से मुआवजा प्राप्त करने में सहमत है।

4. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुदा मार्ग नहीं है, प्रार्थीगण पूर्व में चाहे गये मार्ग से ही अप्रार्थीगण की सहमति से आवागमन करते आ रहे थे, वर्तमान में मार्ग अवरूद्ध कर दिया गया है जिससे प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आवागमन करने एवं कृषि यंत्रों को लाने व ले जाने में परेशानी हो रही है जिससे प्रार्थीगण को अपनी भूमि को काश्त करने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वांछित अनुतोष अनुसार रास्ता स्वीकार करने के लिए निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 ता 7 रास्ते में आई भूमि के बदले भूमि अथवा डीएलसी दर की दो गुणा राशि दिए जाने पर रास्ता स्वीकृत करने पर सहमति प्रकट की। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 10 निवेदन किया कि अप्रार्थी की भूमि में से होकर कभी रास्ता नहीं चला है न ही प्रार्थीगण द्वारा कभी पूर्व में अप्रार्थी की भूमि में से होकर आवागमन किया जाता रहा है। अप्रार्थी की भूमि कि.न. 1 से 5 में पहले से ही एक रास्ता स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी की भूमि मुरब्बा के आगे के काश्तकारान को आवागमन तथा कल्याण कोट रेल्वे स्टेशन तक ग्रामवासियों के आवागमन के उद्देश्य से अप्रार्थी द्वारा अपनी भूमि के कि.नं. 5,6,15,16,25 में पहले से ही सहमति से रास्ता छोड़ रखा है। अप्रार्थी की भूमि में से और रास्ता स्वीकार किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग मु.नं. 46 में से उपलब्ध है जो कि प्रार्थीगण के रिश्तेदारान की भूमि है। इसके अतिरिक्त यदि वांछित मार्ग स्वीकृत कर भी दिया जाता है तो प्रार्थीगण को अपनी भूमि में पंहुच हेतु अप्रार्थीगण सं. 3 से 7 की भूमि मु.नं. 46 कि.नं. 25/1 में खाले के उपर पुलिया बनाकर प्रवेश करना होगा। उक्त भूमि संयुक्त खाता की है, जिसके विभाजन से पूर्व रास्ता स्वीकार नहीं किया जा सकता है न ही पुलिया बनाकर रास्ता दिया जाना व्यवहारिक है। वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 10 अपनी बहस के दौरान न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2017(1) पृष्ठ सं. 423 मा. राजस्व मण्डल अजमेर के प्रकरण गिरदावरी आदि बनाम सुल्तान राम आदि निर्णय दिनांक 21.10.2016 की छायाप्रति प्रस्तुत की।

5. स्वयं द्वारा वांछित रास्ता व प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की भूमि का मौका निरीक्षण किया गया। बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन किया। हस्तगत प्रकरण पर प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत चस्पा नहीं होते है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीविजयनगर एवं रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा का गहनता से परिशीलन किया। प्रार्थीगण के द्वारा अपनी भूमि मु.नं. 59 में प्रवेश के प्रयोजनार्थ मु.नं. 47 कि.नं. 1,10,11,20,21 के खातेदार अप्रार्थी [illegible] अप्रार्थी सं. 10 की भूमि में से तथा अप्रार्थी सं. 3 से 7 की [illegible] मु.[illegible] 46 कि.नं. 25/1 में से 12 फुट चौड़ाई से रास्ते की मांग की गई है। [illegible] रिपोर्ट तहसीलदार जोत के मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिए [illegible] की आवश्यकता है, जोत के लिए वैकल्पिक रास्ते का अभाव है। न्यूनतम व निकटतम विकल्प व्यवहारिक है। मार्ग को स्वीकृत करने पर प्रार्थी को 3[illegible] खेत में प्रवेश करने हेतु पक्के खाले के उपर से गुजरना होगा। जोत तक पंहुचने का संपूर्ण रास्ता खातेदार की भूमि में से होकर गुजरता है। प्रकरण दर्ज होने की दिनांक तक प्रार्थी द्वारा प.नं. 149/404 कि.नं. 1,10,11,20,21 से व प.नं. 150/404 कि.नं. 25 में स्वीकृतशुदा खाले के उपर सिमिटेड सिलियों से अस्थाई पुलिया बनाकर कोने से होकर बने रास्ते का उपयोग किया जा रहा था तथा एक अन्यत्र मार्ग जो प.नं. 151/405 (60) में नहर की सीमा में होकर प.नं. 151/406 कि.नं. 5,4

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:55:07 IST
Reason: SelfAttested

में चल रहा रास्ता जो प्रार्थी के कि.नं. 21 को लगता है का भी उपयोग किया जा रहा था।

6. उक्त नहर की सीमा से होकर आने वाले मार्ग को स्वीकार नहीं किया सकता है न ही प्रार्थीगण द्वारा इसकी मांग की गयी है। नजरी नक्शा अनुसार वांछित मार्ग के अतिरिक्त अन्य विकल्प में मु.नं. 46 कि.नं. 1,10,11,20,21 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है परन्तु अवलोकन करने एवं मौका निरीक्षण करने पर पाया गया है कि मु.नं. 46 कि.नं. 1 से 5 व 5 से 25 में खाला, कि.नं. 1 से 5 में पहले से ही रास्ता स्वीकृत है। उक्त मुरब्बा में और रास्ता स्वीकार किया जाना न्याय के दृष्टिगत उचित नहीं है ना ही प्रार्थीगण द्वारा द्वारा उक्त भूमि में से रास्ता की मांग की गई है न ही रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रस्तावित रास्ता निकटतम है। ऐसे में अप्रार्थी सं. 10 की यह प्रार्थना भी स्वीकार नहीं की जा सकती की प्रार्थी को अन्यत्र मार्ग दिया जावे। प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आवागमन हेतु स्वीकृतशुदा मार्ग नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा वांछित मार्ग ही निकटतम मार्ग है।

7. न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि प्रार्थीगण द्वारा रास्ता की गयी मांग अत्यांतिक आवश्यक्ता की श्रेणी में आती है। प्रार्थीगण के पास अपनी भूमि में पंहुच हेतु वैकल्पिक मार्ग का अभाव है। वांछित मार्ग ही लघुतम मार्ग है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

—: आदेश :—

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज.काश्त.अधि. स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 10 की भूमि चक 14 जीबी मु.नं. 47 प.नं. 149/404 कि.नं. 1,10,11,20,21 प्रत्येक में 12 फुट चौड़ाई का पश्चिमी पासा उत्तर से दक्षिण गै.मु. रास्ता तथा अप्रार्थीगण सं. 3 से 7 की भूमि चक 14 जीबी मु.नं. 46 प.नं. 150/404 कि.नं. 25/1 में दक्षिणी पूर्वी कार्नर पर 12 गुणा 12 वर्गफुट गै.मु. रास्ता स्वीकृत किया जाता है। कि.नं. 25/2 में खाले के उपर से पुलिया बनाने का व्यय प्रार्थीगण स्वयं वहन करेंगे तथा प्रार्थीगण खाले के प्रवाह में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने अथवा खाले को किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त करने से वर्जित रहेंगे। प्रार्थीगण रास्ते में आई भूमि की एवज में अप्रार्थीगण को रास्ते में आई भूमि की डीएलसी दर की दो गुणा राशि अदा करेगें। तहसीलदार श्रीविजयनगर प्रतिकर की गणना कर प्रार्थीगण से नियमानुसार राशि जमा करवा स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें तथा अप्रार्थीगण 3 से 7 एवं 10 को जमाशुदा प्रतिकर राशि का उनके अंश अनुसार भुगतान करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 25.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:35:07 IST
Reason: SelfAttested

शकुन्तला
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर